

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 166/2021

अनवान : -

1. अनीश परवेज उम्र 14 वर्ष 2. जोया उम्र 10 वर्ष पि0 अब्दुल खां जाति कायमखानी नाबालिग जरिये संरक्षिका माता राबिया बानो पत्नी अब्दुल खां जाति कायमखानी निवासी नाथ कॉलोनी भानीपुरा मोहल्ला वार्ड स0 4 नोहर तहसील नोहर।

- सायल

बनाम्

1. अब्दुल खां पुत्र लाल खां जाति कायमखानी निवासीनाथ कॉलोनी भानीपुरा मोहल्ला वार्ड स0 4 नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

-गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :- 1. श्री मदन मोहन जोशी जोशी अधिवक्ता सायल  
निर्णय दिनांक: 18/12/15

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 629/633 की कुल 4.9190 हैक्ट भूमि में से 4047/19676 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 628/634 की कुल 3.3890 हैक्ट भूमि में से 253/3389 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पूर्व सायल के दादा के नाम दर्ज थी तथा सायल के दादा लालखां के नाम दर्ज थी और उनके बाद उक्त भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता खानदान दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक है जिसमें सायल का जन्मजात हक हिस्सा है। गैरसायल स0 1 अकेले के नाम अनुचित तौर से भूमि दर्ज होने के कारण गैरसायल स0 भूमि को भी रहन, बैय करने पर उतारू है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वादग्रस्त भूमि को रहन/बैय व मुन्तकिल न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 629/633 की कुल 4.9190 हैक्ट भूमि में से 4047/19676 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 628/634 की कुल 3.3890 हैक्ट भूमि में से 253/3389 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी स0 1 उपस्थित नहीं अतः अप्रार्थी स0 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त भूमि पूर्व सायल के दादा के नाम दर्ज थी तथा



Rahul

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर


सायल के दादा लालखां के नाम दर्ज थी और उनके बाद उक्त भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता खानदान दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक है जिसमें सायल का जन्मजात हक हिस्सा है। गैरसायल स0 1 अकेले के नाम अनुचित तौर से भूमि दर्ज होने के कारण गैरसायल स0 भूमि को भी रहन, बैय करने पर उतारू है जिससे प्रार्थी को अपूर्ण्य क्षति होगी इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वादग्रस्त भूमि को रहन/बैय व मुन्तकिल न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, व जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हको का निर्धारण मूल दावों के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्ण्य क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता खानदान दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक है जिसमें सायल का जन्मजात हक हिस्सा है जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि सायल व गैरसायलान मुस्लिम धर्म से शासित है तथा मुस्लिम विधि से शासित है इसलिए मुस्लिम विधि में कोई बाई बर्थ राईट नहीं होता है। मुस्लिम विधि के अनुसार पुत्रों/पुत्रीयों का बाई बर्थ राईट नहीं होता है एवं प्रार्थी मुताबिक मुस्लिम विधि के अपने हक हिस्सा को पाने के अधिकारी है अतः अप्रार्थी को मुस्लिम विधि के अनुसार पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्ण्य क्षति भी अप्रार्थी को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्ण्य क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से दिनांक 22.10.2021 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक.....18/12/25.....मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर